कम्प्यूटर - परिपत्र संख्या - 1415/16 दिनांक 20-01-2015

पत्रस0-ज्वा0कम0 (वि0अनु0शा0) मु0/ स0प0/14-15 / आई0टी0सी0 क्लेम / 2714/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 19 जनवरी,2015

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्रदेश में दिनांक 01-01-08 से वैट व्यवस्था लागू की गयी है। वैट अधिनियम की धारा-13 के अर्न्तगत व्यापारियों द्वारा आई0टी0सी0 क्लेम किये जाने की व्यवस्था है। वैट अधिनियम में व्यापारियों को दी गयी उक्त व्यवस्था के क्रम में व्यापारी द्वारा क्लेम किये इनपुट टैक्स का सत्यापन भी अति आवश्यक है। अत: व्यापारियों द्वारा दाखिल किये गये मासिक / त्रैमासिक रुपपत्रों की सतत समीक्षा एवं सन्निरीक्षा करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा किये जाने के संबंध में मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या-755 दिनांक 12-10-2008, पत्र संख्या-168 दिनांक 20-04-2009, पत्र संख्या-1593 दिनांक 18-09-2009, पत्र संख्या-778 दिनांक 30-07-2013एवं पत्र संख्या-1528 दिनांक 04-12-2013 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये हैं ताकि व्यापारियों द्वारा आई0टी0सी0 के संबध में वैट अधिनियम में दी गयी व्यवस्था का अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण लाभ न लिया जा सके परन्तु फील्ड के अधिकारियों द्वारा अभी भी दाखिल रुपपत्रों की शत प्रतिशत समीक्षा नही की जा रही है।

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि वैट प्राविधानों के अर्न्तगत दाखिल किये गये आन लाइन मासिक रुपपत्रों में कतिपय व्यापारियों द्वारा नान वैट गुड्स पर चुकाये गये कर की नियम विरुद्व आई0टी0सी0 क्लेम की जा रही है। उदाहरण स्वरूप एक व्यापारी द्वारा नेचुरल गैस अदर दैन सी0एन0जी0 की खरीद को दाखिल किये गये अपने रुपपत्र-24 के अनुलग्नक-ए में दर्शित करते हुये उसकी खरीद पर दिये गये कर को आई0टी0सी0 के रुप मे क्लेम किया गया है, जबकि नेचुरल गैस अदर दैन सी0एन0जी0 वैट अधिनियम की सूची-4 में अधिसूचित है जो कि नान वैट गुड्स की श्रेणी में है। इस प्रकार उक्त वस्तु की खरीद पर वैट प्राविधानों के अधीन आई0टी0सी अनुमन्य नही है फिर भी व्यापारी द्वारा जानबूझ कर नान वैट गुड्स की खरीद को अनुलग्नक-ए में दर्शित कर आई0टी0सी0 क्लेम कर करापवंचन का प्रयास किया गया है। उक्त दृष्टान्त से स्पष्ट है कि मुख्यालय द्वारा फील्ड के अधिकारियों को रुपपत्रों की सतत समीक्षा एवं सन्निरीक्षा किये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये जाने के बावजूद भी जानबूझकर व्यापारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण आई0टी0सी0 क्लेम किये जाने के प्रकरण सामने आ रहे हैं। उपरोक्त प्रवृत्ति पर तत्काल अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। रुपपत्रों की शतप्रतिशत नियमित समीक्षा एवं सन्निरीक्षा के संबंध में निर्गत निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन कराया जाना नितान्त अनिवार्य है।

वर्तमान समय में ई-रिटर्न दाखिल करने वालों व्यापारियों की आई0टी0सी0 सत्यापन की आन लाइन व्यवस्था कर दी गयी है। इसके साथ ही अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के अर्न्तगत स्टाक ट्रासंफर, क्रय मूल्य से कम बिक्री, धारा-7(सी) माल वापसी, माल के निजी प्रयोग, डेमेज आदि का परीक्षण करके आर0आई0टी0सी0 की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इसके लिये आन लाइन / मैनुवली दाखिल किये गये रुपपत्रों की नियमित समीक्षा एवं सन्निरीक्षा किया जाना आवश्यक है।

अत:अपने अधीनस्थ करनिर्धारण अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दे कि व्यापारियों द्वारा दाखिल रुपपत्र-24 की नियमित समीक्षा करते हुये वैटं प्राविधानों के अर्न्तगत विधिक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें। भविष्य में इस प्रकार के मामलें प्रकाश में आने पर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुये कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

16.1.2015
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।